

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)**

Case No..... 304/11

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

श्री १० १० गौड

Name, parentage, caste and address of accused

- ① मुन्नालाल १० जयराज सगर ५४ वर्ष १० वसवाला गौड
- ② सुनील १० जवाहरलाल शर्मा २५ वर्ष १० वसवाला गौड
- ③ सधीप १० शमेश बाल्य मील २० वर्ष १० अखिलपुर वसवाला

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक ७-११-१७ को करीब १७.३० बजे मुकाम सार्वजनिक स्थान उरवाला मोहल्ला राता गौड - गौड पर ताश के पत्तों से रुपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।

ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम १८६७ की धारा १३ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

मुन्नालाल सुनील शर्मा

सुधीप

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 15-11-17 को घोषित)

01. आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी/गण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड 100-100/- रुपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि 1250/- अपील अवधि पश्चात् राजसात की जाये तथा जप्तशुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश 52 पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जप्तशुदा अन्य संपत्ति ~~.....~~ अपराध से संबंधित एवं उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जप्त की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित


(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)